

मि. बहादुरजी गड्डे

12/11/2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा  
कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा-0744-2325871

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**  
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.) बनाम 1.राजस्थान राज्य जर्ज तहसीलदार लाडपुरा  
जिला कोटा राज0

1. जे0 एन0 मार्शल एण्ड कम्पनी कोटा जर्ज पार्टनर अशोक मेहता आयु 78 वर्ष आत्मज श्री किशोरमल मेहता निवासी 308, इनिका रेजीडेन्सी सिविल लाईन्स, नेहरू पार्क के सामने, कोटा राज0

- प्रतिवादी

-वादी

**:: वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::-**

मुकदमा नं. 48/2025

इस वाद में आज तारीख को वादी का वाद स्वीकार कर फाइनल डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम खेडली पुरोहित के खसरा नं0 202/1 रकबा 0.01 है0 की तरमीम पूर्व नक्शे व रिपोर्ट पटवारी अनुसार उचित स्थान पर की जावे तथा रिक्त रहे स्थान को नवीन खसरा नं0 202/2 प्रदान करते हुए वादी के खाते दर्ज मूल खसरा नं0 202 के 0.11 है0 को खसरा नं0 202 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 202/2 रकबा 0.05 है0 में विभाजित करते हुए वादी के खाते दर्ज किया जावे।

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित .... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए।  
यह डिक्री आज तारीख 27 माह 02 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1.वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2.शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा